न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 54 / 2015

सद्दीक पुत्र सत्तार जाति मेव निवासी ग्राम आरदूका तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. जायदा पुत्री अब्दुल गनी उर्फ गनी पत्नि अरसद जाति मेव निवासी हाल आबाद ग्राम तेस्की तहसील नगर भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री यशपाल सैनी वकील प्रार्थी
2. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :– 21.01.2021

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर खाता संख्या 7 के खसरा नम्बर 716 / 0.28, खाता संख्या 129 के खसरा नम्बर 98 / 0.15, खाता संख्या 130 के खसरा नम्बर 528 / 0.65, खाता संख्या 131 के खसरा नम्बर 96 / 0.19, 99 / 0.15, 240 / 0.29, 270 / 0. 42, 302 / 0.68, खाता संख्या 132 के खसरा नम्बर 112 / 0.38, 404 / 0.23, 442 / 0.23, 457 / 0.28, 503 / 0.35, 504 / 0.35, 506 / 0.50, 556 / 0.39, 607 / 0.74, 634 / 0.54, 733 / 631 / 0.19, खाता संख्या 133 के खसरा नम्बर 802 / 311 / 0.22, खाता संख्या 134 के खसरा नम्बर 281 / 0.52, 377 / 0.23, खाता संख्या 135 के खसरा नम्बर 243 / 0.40, खाता संख्या 146 के खसरा नम्बर 319 / 0.21 हैक्टर बांके ग्राम आरदूका तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी पक्षकारान की सम्मलित खातेदारी का रकबा है तथा अब्दुल

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

गनी ने आराजी मुत0 का दानपत्र गलत तरीके से अपनी पुत्री जायदा के हक में करा दिया है। जिसके आधार पर आराजी मुतदाविया में शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त करना संभव नहीं रहा है। प्रार्थी ने आराजी मुतदाविया के वैधानिक रूप विभाजन कराने की कहा तो अप्रार्थी ने दिनांक 04.07.2015 को स्पष्ट शब्दो में इन्कार कर दिया। प्रार्थी मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन कराकर अलग–अलग खाता व राज लगान कायम करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी व अप्रार्थी विवादित आराजी के अपने–अपने हिस्से को वाहमी बंटवारे के आधार पर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन अब्दुल गनी ने आराजी मुतदाविया में से अपने हिस्से का दान पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करा दिया जिसके आधार पर आराजी कब्जे काश्त में मदाखलत करना चाहती है तथा आराजी को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करना चाहती है। जिसकी बाबत दिनांक 05.07.2015 को ऐलानिया धमकी दी है। अगर अप्रार्थीया अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गई तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से ना हो सकेगी । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी चन्द रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 कब्जे काश्त प्रार्थी में मजाहमत व मदाखलत नहीं करें एवं बिना विभाजन कराये आराजी को रहनवय मुन्तकिल न करे। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया तथा दिनांक 11.04.2019 को जबाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी विवादित आराजी में सहखातेदार है और विवादित आराजी में से अपने हिस्से की आराजी को अब्दुल गनी ने अपनी पुत्री अप्रार्थी संख्या 1 जायदा के हक में कानूनन सही तरीके से सभी कानूनी नियमों का पालन करते हुये दानपत्र तहरीर किया जो बिल्कुल सही है और तब से लेकर आज तक अप्रार्थीया निरन्तर रूप से अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त है। जिससे प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी के हिस्से की आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को पाबन्द करा पाने का अधिकारी नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थी की है। अप्रार्थी ने आराजी को अपने पिता

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अब्दुल गनी उर्फ गनी से दान पत्र के माध्यम से प्राप्त की है। जिसका वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अमल भी हो चुका है। प्रार्थी ने उक्त दान पत्र के आधार पर अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे नाम आने के आधार पर ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी अपने पिता के हिस्से की आराजी पर ही वर्तमान मे काबिज है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी का अप्रार्थी के हिस्से की आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार प्रतीत नही होता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को महज परेशान करने की नीयत से ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। क्योकि दावे मे लगभग साढे पॉच वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी शेष अप्रार्थीगण की तलबी नही करायी गयी है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी में निहित है।

सुविधा सन्तुलन :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थी की है। अप्रार्थी ने आराजी को अपने पिता अब्दुल गनी उर्फ गनी से दान पत्र के माध्यम से प्राप्त की है। जिसका वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अमल भी हो चुका है। एवं प्रार्थी का अप्रार्थी के हिस्से की आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार प्रतीत नही होता है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी में ही निहित है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। पूर्व में इस न्यायालय जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.07.2015 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner